भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1014
दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

आश्रयगृह

1014. श्री विजय बघेलः
श्री हरीश द्विवेदीः
श्रीमती शारदा अनिल पटेलः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में बाल आश्रयगृह/विधवा आश्रयगृह/मानसिक रूप से विकलांग बेसहारा बच्चों के लिए गृह स्थापित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और ऐसे आश्रयगृहों की औसत अधिभोग-दर कितनी है;
(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस हेतु राज्य-वार कितनी निधि अनुमोदित, जारी और उपयोग की गई है;
(घ) क्या उक्त आश्रय गृहों में रह रहे मानसिक रूप से विकलांग बेसहारा बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कोई उपचार किया जा रहा है;
(ङ) क्या सरकार को इन आश्रयग्रहों में उत्पीड़न और यौन-दुराचार की घटनाओं की जानकारी है; और
(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित की गई ऐसी घटनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है और सरकार द्वारा गृहवासियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख के जरिए कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की देखभाल और संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम अर्थात 'बाल संरक्षण सेवाएं' (सीपीएस) (पूर्ववर्ती समेकित बाल संरक्षण सेवा) क्रियान्वित कर रही है । इस स्कीम को क्रियान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की है । किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) की धारा 2(14) (iv) के अनुसार एक बच्चा जो मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से अशक्त है या टर्मिनल अथवा उपचार न हो सकने वाली बीमारी से पीड़ित है, जिसकी मदद करने अथवा देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है या जिसके माता-पिता अथवा अभिभावक देखभाल करने के लिए असमर्थ हैं, यदि किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसा पाया जाता है, तो वह बच्चा अन्यों के साथ 'देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चा' (सीएनसीपी) के रूप में शामिल होगा और जेजे एक्ट की धारा 2(14) (vi) सीएनसीपी को परिभाषित करती है कि जिसके कोई भी माता-पिता नहीं हैं और जिसकी देखरेख के लिए

कोई भी इच्छुक नहीं है अथवा जिसके माता-पिता ने उसे परित्यक्त या सरंडर कर दिया है । यह स्कीम मनोवैज्ञानिक परीक्षण सामग्री, स्पीच और भाषा के लिए प्रशिक्षण सामग्री, अध्यापन सामग्री, व्हील चेयर्स, क्रैचिस आदि विशेषीकृत उपकरणों और सामग्री की खरीद की व्यवस्था करती है । सीपीएस स्कीम के तहत मंत्रालय 10.48 लाख रुपये (प्रति वर्ष) की दर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 10 बच्चों की एक विशेष यूनिट हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है ।

गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा मुहैय्या कराई गई सूचना के अनुसार देश में किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) की संख्या अनुलग्नक-। में वर्णित है ।

विधवाओं के लिए गृह : विधवाओं को ठहरने के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित स्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और परामर्शी सेवाएं मुहैय्या कराने के लिए भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में विधवाओं के लिए 'कृष्ण कुटीर' नामक 1000 इनमेट्स की क्षमता वाले एक गृह का निर्माण किया गया है ।

स्वाधार गृह स्कीम : मंत्रालय ने पूर्ववर्ती दो स्कीमों अर्थात 'स्वाधार' और 'अल्पावास गृह' को मिलाकर दिनांक 01.01.2016 से स्वाधार गृह स्कीम शुरू की है, जो पूरे देश को कवर करती है । हालांकि, यह केवल विधवाओं के लिए नहीं है, स्वाधार गृह स्कीम का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक मदद के बिना कठिन परिस्थितियों में रह रहीं महिलाओं जैसे परित्यक्त महिलाएं और प्राकृतिक आपदा की उत्तरजीवी महिलाएं, जो बेघर हो गई हैं, दुर्व्यापार की पीड़ित महिलाएं/लड़कियां, आतंकी हिंसा की शिकार महिलाएं, मानसिक रूप से पीड़ित महिलाएं जिनको कोई भी सहायता नहीं है और परिवार द्वारा परित्यक्त एचआईवी/एड्स से पीड़ित महिलाओं की मदद करना है । ये महिलाएं पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता की जरूरतमंद हैं, ताकि वे अपना जीवन गरिमा के साथ व्यतीत कर सकें । यह स्कीम समाज में उनके भावनात्मक और आर्थिक पुनर्वास को सुकर बनाने के साथ उनके लिए आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ आश्रय, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैय्या कराने की परिकल्पना करती है ।

गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित, जिनकी सहायता सीपीएस के तहत की जा रही है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत तथा प्रयुक्त निधियों का विवरण अनुलग्नक-**II** में वर्णित है ।

गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार विगत तीन वर्षों और अभी तक चालू वर्ष के दौरान स्वाधार गृह स्कीम के तहत सरकार द्वारा स्वीकृत और प्रयुक्त निधि का विवरण अनुलग्नक-**III** में वर्णित है ।

(ड.) और (च) : बालकों के लिए आश्रय गृहों में व्यथित करने वाली बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं मंत्रालय की जानकारी आई हैं । मंत्रालय ने किसी भी बाल देखरेख संस्थानों में दुर्व्यवहार की कोई भी अवांछित घटना के मामले में बच्चे की जिंदगी में व्यवधान डालने के मामले में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है । मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने हाल ही में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों का ध्यान उनके संबंधित राज्यों में स्थित बाल देखरेख संस्थानों में सेवाओं और सुविधाओं की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करने और जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलैक्टरों तथा प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षकों को बालकों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा करने हेतु सलाह देने की ओर दिलाया है ।

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बाल देखरेख संस्थानों/आश्रय गृहों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न सहित उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-**IV** में वर्णित है ।

*****

अनुलग्नक-I

'आश्रयगृह' वषय पर श्री वजय बघेल, श्री हरीश द्ववेदी तथा श्रीमती शारदा अनिल पटेल द्वारा दिनांक **22** नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकत प्रश्न संख्या **1014** के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भत अनुलग्नक

15.11.2019 को सीपीएस स्कीम के तहत वशेष जरूरतमंद बच्चों सहित देखरेख संस्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	देखरेख संस्थान [गृह]		खुले आश्रय गृह		वशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसयां	
		सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	66	2954	9	262	14	140
2	अरुणाचल प्रदेश	5	185	0	0	1	10
3	असम	37	1765	3	51	23	69
4	बिहार	26	1567	5	134	13	138
5	छत्तीसगढ़	65	2325	10	117	12	120
6	गोवा	23	1188	3	378	2	16
7	गुजरात	45	1706	0	0	12	86
8	हरियाणा	24	1322	14	425	7	52
9	हिमाचल प्रदेश	32	1268	4	91	1	15
10	जम्मू और कश्मीर	17	823	0	0	2	0
11	झारखंड	36	992	5	141	15	93
12	कर्नाटक	79	3056	38	1084	25	319
13	केरल	30	788	4	100	12	65
14	मध्य प्रदेश	67	2804	8	348	26	243
15	महाराष्ट्र	74	2320	2	50	17	170
16	मणपुर	42	1160	14	296	7	55
17	मेघालय	44	960	3	159	3	6
18	मजोरम	36	1195	0	0	5	50
19	नागालैंड	39	609	3	60	4	5
20	ओडशा	96	6859	12	244	23	223
21	पंजाब	13	463	0	0	0	0
22	राजस्थान	85	2459	22	401	24	99
23	सक्किम	12	355	3	60	4	20
24	तमलनाडु	198	12864	11	275	20	200
25	त्रिपुरा	23	717	2	58	6	49
26	उत्तर प्रदेश	74	3703	20	517	25	247
27	उत्तराखंड	20	437	2	50	2	15
28	पश्चिम बंगाल	70	4156	49	1226	23	326
29	तेलंगाना	40	1277	0	0	11	320
30	अंडमान और निकोबार	10	401	-	0	2	10
31	चंडीगढ़	7	252	0	0	2	17
32	दादरा और नगर हवेली	-	0	-	0	-	0
33	दमन और दीव	1	25	-	0	-	0
34	लक्षद्वीप	-	0	-	0	-	0
35	दिल्ली	28	1447	13	380	3	72
36	पुदुचेरी	27	1043	2	42	2	16
	कुल	**1491**	**65445**	**261**	**6949**	**348**	**3266**

अनुलग्नक-II

'आश्रयगृह' वषय पर श्री वजय बघेल, श्री हरीश द्ववेदी तथा श्रीमती शारदा अनिल पटेल द्वारा दिनांक **22** नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकत प्रश्न संख्या **1014** के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भत अनुलग्नक

15.11.2019 को निर्मुक्त राशयों और वत्तीय वर्ष **2016-17, 2017-18, 2018-19** और चालू वर्ष के दौरान बाल संरक्षण स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रयुक्त राश का ववरण

बाल संरक्षण स्कीम (सीपीएस) के तहत निर्मुक्त और प्रयुक्त अनुदान की स्थिति (रुपये लाख में)								
क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20
		निर्मुक्त राश	प्रयुक्त राश	निर्मुक्त राश	प्रयुक्त राश	निर्मुक्त राश	प्रयुक्त राश	निर्मुक्त राश
1	आंध्र प्रदेश	110.74	586.32	1469.88	1537.11	1870.01	1477.11	1373.53
2	अरुणाचल प्रदेश	52.29	179.54	643.71	180.00	37.63	526.03	1174.11
3	असम	413.64	1112.98	2932.68	1608.78	3379.63	2015.65	2145.53
4	बिहार	2787.92	1923.33	541.56	1609.84	2621.87	1619.23	1297.02
5	छत्तीसगढ़	527.77	1683.25	3181.97	1701.20	2151.01	2179.68	1550.06
6	गोवा	36.83	98.27	728.53	54.44	16.03	80.17	19.63
7	गुजरात	769.95	1526.53	590.11	1767.24	2251.55	1790.09	1392.81
8	हरियाणा	0.00	1224.85	1858.22	2500.00	1387.60	1693.65	2217.99
9	हिमाचल प्रदेश	2345.48	2390.26	1835.01	1833.11	1342.64	1349.88	1607.40
10	जम्मू और कश्मीर	43.12	114.71	807.48	807.48	2106.94	1189.53	1225.16
11	झारखंड	840.11	842.14	1714.57	1641.76	1480.26	1570.69	1099.05
12	कर्नाटक	3720.80	3709.53	3272.45	1364.04	4022.56	3098.95	3290.45
13	केरल	260.50	216.96	1849.45	1275.72	1263.77	1289.64	786.54
14	मध्य प्रदेश	2503.88	2535.83	3262.77	2582.87	2959.23	3070.18	2148.46
15	महाराष्ट्र	2272.33	1569.37	608.15	608.15	3156.52	1922.01	2449.63
16	मणपुर	241.34	709.47	1886.33	2103.00	3866.99	3660.70	1341.69
17	मेघालय	2060.33	2060.33	1846.60	1846.60	2254.51	900.80	1201.38
18	मजोरम	1949.55	1949.55	1917.51	1917.51	2042.28	2042.28	1005.66
19	नागालैंड	1350.37	1447.50	1457.45	1457.45	1787.12	1779.05	2085.95
20	ओडशा	1089.22	2580.78	2599.30	2782.53	4352.44	3398.22	1999.00
21	पंजाब	581.67	718.31	143.24	875.43	1244.17	535.83	722.00
22	राजस्थान	0.00	2267.52	4752.30	2995.81	3584.72	3584.72	2052.61
23	सक्किम	601.18	365.87	662.76	125.43	379.25	512.55	466.91
24	तमलनाडु	13039.37	3648.55	2013.12	5512.50	7895.14	8622.16	11414.36
25	तेलंगाना	195.64	1823.98	894.82	633.08	1329.23	1647.72	1726.38
26	त्रिपुरा	676.04	415.30	446.81	499.00	885.77	841.54	610.71
27	उत्तर प्रदेश	3207.19	3109.82	1830.67	4222.98	7834.39	5347.81	4277.72
28	उत्तराखंड	15.54	187.54	907.57	731.40	1344.40	405.84	918.58
29	पश्चिम बंगाल	6763.87	3522.60	5073.56	4232.67	2372.13	3391.03	2815.10
30	अंडमान और निकोबार	36.88	36.76	31.66	93.36	218.85	201.17	392.12
31	चंडीगढ़	245.44	278.53	194.32	236.17	577.58	259.27	415.09
32	दादरा और नगर हवेली	177.59	59.11	24.82	69.90	11.24	90.74	137.23
33	दमन और दीव	126.42	80.33	21.89	83.00	18.42	67.77	141.79
34	दिल्ली	978.64	1024.94	354.33	907.88	1007.39	849.99	748.55
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	पुद्दुचेरी	826.33	768.69	114.35	426.20	398.43	*	501.96
	कुल	50847.97	46769.35	52469.95	52823.64	73451.70	63011.68	58752.16

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से व्यय का ववरण और उपयोगता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है ।

अनुलग्नक **–III**

'आश्रयगृह' वषय पर श्री वजय बघेल, श्री हरीश द्ववेदी तथा श्रीमती शारदा अनिल पटेल द्वारा दिनांक **22** नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकत प्रश्न संख्या **1014** के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भत अनुलग्नक

पछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वाधार गृह स्कीम के तहत निर्मुक्त/संस्वीकृत और राज्यों द्वारा प्रयुक्त राश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ववरण (लाख रुपये में)

लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र को वत्तीय वर्ष 2019-20 में कोई राश निर्मुक्त/संवतरित नहीं की गई है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**	
		निर्मुक्त राश	प्रयुक्त राश	निर्मुक्त राश	प्रयुक्त राश राश	निर्मुक्त राश राश	प्रयुक्त राश	निर्मुक्त राश	निर्मुक्त राश राश
1	आंध्र प्रदेश	113.41	87.35	140.63	126.46	-	-	190.93	-
2	असम	157.03	157.03	194.71	194.71	152.60	-	104.68	-
3	अंडमान और निकोबार	4.4	2.39	9.01	7.76	7.27		7.27	-
4	अरुणाचल प्रदेश	6.54	6.54	8.11	8.11	18.05	18.05	9.70	-
5	बिहार	69.79	0	86.54	0	0	-	0	-
6	चंडीगढ़	7.27	7.24	9.01	7.70	6.64	-	7.99	-
7	छत्तीसगढ़	17.44	17.44	16.22	16.22	30.25	30.25	22.95	-
8	दादरा और नगर हवेली	0		0		0		0	-
9	दमन और दीव	0		0		0		0	-
10	दिल्ली	14.00	13.81	18.02	15.81	16.10	-	18.38	-
11	गुजरात	30.53	0	37.86	37.86	0	-	18.31	-
12	गोवा	4.36	-	5.40	-	0	-	0	-
13	हरियाणा	4.36	4.36	9.77	9.77	3.39	-	0	-
14	हिमाचल प्रदेश	0		0		0		5.45	-
15	झारखंड	13.08	6.54	16.22	0	0	-	18.17	-
16	जम्मू और कश्मीर	26.17	26.17	32.45	32.45	36.20	36.20	38.87	-
17	कर्नाटक	266.08	266.08	505.99	505.99	274.35	-	221.67	-
18	केरल	34.89	34.89	43.27	43.27	69.59	-	32.26	-
19	लक्षद्वीप	0		0		0		0	-
20	मध्य प्रदेश	26.17	20.87	32.45	25.79	46.09	-	151.64	-
21	महाराष्ट्र	331.51	-	411.07	-	0	-	0	-
22	मजोरम	13.08	13.08	16.22	16.22	81.09	-	71.97	-
23	मणपुर	150.49	150.49	186.61	186.61	424.30	-	150.48	-
24	मेघालय	0		8.72	-	0		0	-
25	नागालैंड	6.54	6.54	8.11	8.11	25.69	-	13.08	-
26	ओडशा	408.36	356.66	463.24	395.21	456.79	-	286.73	-
27	पंजाब	8.72	0	10.82	2.34	8.00	-	9.58	-
28	पुद्दुचेरी	7.27	7.27	9.01	9.01	20.06	-	7.99	-
29	राजस्थान	61.07	26.09	75.73	14.44	0	-	27.46	-
30	सक्किम	6.54	4.92	8.11	8.11	6.72	6.72	10.64	-
31	तमलनाडु	174.48	151.11	216.36	196.05	409.75	-	160.12	-
32	तेलंगाना	104.69	88.50	124.40	87.24	116.09	116.09	13.08	-
33	त्रिपुरा	26.17	26.17	32.45	32.45	46.23	-	26.17	-
34	उत्तर प्रदेश	314.06	-	430.60	-	0	-	0	-
35	उत्तराखंड	58.89	0	73.02	27.00	0	-	0	-
36	पश्चिम बंगाल	0		430.29	-	0	-	0	-

अनुलग्नक-**IV**

'आश्रयगृह' वषय पर श्री वजय बघेल, श्री हरीश द्ववेदी तथा श्रीमती शारदा अनिल पटेल द्वारा दिनांक **22** नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकत प्रश्न संख्या **1014** के उत्तर के भाग (ड.) से (च) में संदर्भत अनुलग्नक

वगत तीन वर्षों के दौरान बाल देखरेख संस्थानों/आश्रय गृहों में बच्चों के दुर्व्यवहार और यौन उत्पीडन सहित उत्पीडन के बारे में एनसीपीसीआर में प्राप्त शकायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ववरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	कुल
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह				0
2	आंध्र प्रदेश				0
3	अरुणाचल प्रदेश				0
4	असम		1	1	2
5	बिहार			3	3
6	चंडीगढ़				0
7	छत्तीसगढ़				0
8	दादरा और नगर हवेली				0
9	दमन और दीव				0
10	दिल्ली	2	2	4	8
11	गोवा				0
12	गुजरात				0
13	हरियाणा			2	2
14	हिमाचल प्रदेश				0
15	जम्मू और कश्मीर			1	1
16	झारखंड				0
17	कर्नाटक				0
18	केरल				0
19	लक्षद्वीप				0
20	मध्य प्रदेश			3	3
21	महाराष्ट्र	2	1	1	4
22	मणपुर				0
23	मेघालय				0
24	मजोरम				0
25	नागालैंड				0
26	ओडशा			1	1
27	पुडुचेरी				0
28	पंजाब				0
29	राजस्थान			1	1
30	सक्किम				0
31	तमलनाडु	1			1
32	तेलंगाना				0
33	त्रिपुरा				0
34	उत्तर प्रदेश	4	3	9	16
35	उत्तराखंड		1		1
36	पश्चिम बंगाल				0
कुल		**9**	**8**	**26**	**43**